ओपन एक्सेस बिजली के लिए उद्योग कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

योगी सरकार ने सूबे में उद्योगों को प्रदान की बड़ी सुविधा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम कर रही योगी सरकार ने उद्योगों को बिजली के क्षेत्र में भी बड़ी सुविधा दी है। अल्पकालिक ओपन एक्सेस बिजली के लिए औद्योगिक इकाइयां ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार ने बताया कि प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ओपन एक्सेस बिजली के संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को अपलोड किया है। उपलब्धता आधारित टैरिफ (अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ-एबीटी) मीटर की अनुमति, निरीक्षण

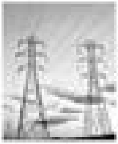

और स्थापना की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन एबीटी पोर्टल को इस वेबसाइट से एकीकृत कर दिया है। इसके अलावा शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस बिजली का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहक अब निर्धारित आवेदन प्रारूप (एसटी-11) पर पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी) के वेब पोर्टल से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का कहना है कि कोविड-19 कालखंड के बाद उद्योगों को अपनी संचालन लागत को कम करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बिजली प्रमुख इनपुट लागतों में से एक है, इसलिए यह विकल्प दिया गया है। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि ओपन एक्सेस बिजली की उद्योगों की लंबे समय से मांग लंबित थी, इसलिए प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप को कम किया है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 63 शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 58 सक्रिय पंजीकरण हैं और उत्तर प्रदेश में ओपन एक्सेस व्यवस्था के तहत स्वीकृत कुल 347.56 मेगावाट में से उद्योगों द्वारा अब तक 224.42 मेगावाट का उपयोग किया गया है।